बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 03 नवम्बर, 2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का 'कमीशनिंग कार्य'।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित करने एवं ई०वी०एम० के द्वितीय रैण्डमाईजेशन के उपरांत बी०यू०, सी०यू० एवं वी०वी०पैट को मतदान केन्द्रवार कमीशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुरक्षित मशीनें भी सम्मिलित होती हैं। यह प्रक्रिया निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बी०यू० में बैलेट पेपर लगाया जाता है, सी०यू० में कैंडिडेट सेटिंग किया जाता है एवं वी०वी०पैट में सिंबल लोड किया जाता है। साथ ही इन्हें आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में एड्रैस टैग एवं पिंक पेपर सील से सील किया जाता है। यह कार्य संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में तथा आयोग के प्रेक्षक की निगरानी में किया जाता है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश आयोग के Manual on Electronic Voting Machine में वर्णित है। जो आयोग के वेबसाईट https://www.eci.gov.in/evm-vvpat पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए कमीशनिंग का कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किया गया हैः–

जिला का नाम	विधानसभावार क्षेत्रों की सं०	ई०वी०एम० की कमीशनिंग प्रारंभ होने की तिथि	चरण
मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखिसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर	121	28.10.2025	प्रथम चरण
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर	122	01.11.2025	द्वितीय चरण

प्रथम चरण से संबंधित जिलों में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का कमीशनिंग का कार्य संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी की देख–रेख में संपन्न हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की सतत निगरानी की गयी। कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थियों को स्वयं अथवा अपने नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने एवं इसकी देख–रेख हेतु लिखित रूप से सुचित किया गया। सभी मशीनें की कमीशनिंग समाप्त होने के बाद 5% रैण्डमली चुने गये बी०यू०, सी०यू० एवं वी०वी०पैट को कनेक्ट कर 1000 वोट डाला गया एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट एवं वी०वी०पैट की पर्चियों की गिनती करके इन्हें सत्यापित किया गया।

द्वितीय चरण हेतु सभी संबंधित जिले में दिनांक 01.11.2025 से ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

कमीशनिंग के उपरांत सभी ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को स्ट्रॉगरूम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुरक्षा एवं भंडारण संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए इसे रखा गया। इसके उपरांत मतदान हेतु ई०वी०एम० वितरण (Dispersal) दिवस को अभ्यर्थियों के उपस्थिति में वीडियोंग्राफी कराते हुए इसे खोला जाएगा एवं मशीनों को मतदान केन्द्र पर रवाना कर दिया जाएगा।

****